मैं समझता हूं कि जहजों से अनाज उतारने और ट्रेन पर लदान की देख-भाल करने वाले अधिकारियों की मिली-भगत है, जिस के कारण हमारा जन जीवन त्रस्त हो गया है। फूड एडल्ट्रैशन में बहुत भयानक वृद्धि हो रही है और लोगो का जीवन तथा स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है।

हैल्थ विभाग के अधिकारी बाजार के छोटे-मोटे व्यापारियो को फूड एडल्ट्रेशन के आरोप मे पकड़ते है और उन पर मुकदमा चलाते है। मैं इस का विरोधी नही हूं। उन पर जरूर मुकदमा चलाना चाहिए। अगर जन-जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले छोटे या बड़े व्यापारियो के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाती है, तो मै उस का स्वागत करता हूं। मै यह जानना चाहता हू कि क्या सरकार एफ० सी० आई० मे बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए मैनेजरों और डिपटी मैनेजरों पर भी फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अधीन मुकदमा चलाने और अन्य कार्यवाही करने का विचार रखती है।

मैं यह भी जानना चाहता हू कि भविष्य मे खाद्यान्नों मे इस प्रकार की मिलावट की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है। सरकार ने गेहूं का थोक व्यापार अपने हाथ मे ले लिया है और वह सितम्बर में चावल का थोक व्यापार अपने हाथ मे लेने जा रही है। मै यह जानना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार एफ० सी० आई० की मशीनरी को सक्षम बनाने की दिशा में क्या कदम उठाने का इरादा रखती है और यदि उसके द्वारा सप्लाई किये गये अनाज में लोहे के कण, पत्थर या धतुरे के बीज पाये गये, तो उस के खिलाफ़ क्या कार्यवाही की जायेगी।

श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद: जनाब, आनरेल बेम्बर इस ग़लतफ़हमी में है कि फूड कार्पोरेशन के अफ़सर अपना फर्ज या अपनी ड्यूटी अदा नहीं कर रहें है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे क्वालिटी कंट्रोल के अफ़सरो ने ही इंस्पैक्शन के बाद यह मालूम किया कि जो माइलो बाहर से आया था, उस में धतुरा था। यह बात किसी और ने नहीं बताई। उसके बाद हमने बाकायदा स्टेप्स लिये कि उस माइलो को साफ़ किया जाये और उस के बाद उस को सब जगह तकसीम किया जाये। (व्यवधान) आनरेबल मेम्बर को वाकयात की खबर नही है। वह ख्वाह-म-ख्वाह दखल अन्दाजी करते हैं। जब हमारे क्वालिटी कंट्रोल आफ़िसर्सज को मालूम हुआ कि माइलो में धतुरा है, तो हम ने कहा कि उस माइलो को साफ किया जायेगा और उस के बाद उस को तकसीम किया जायेगा। उस को साफ किया जा रहा है और उस के बाद वह तकसीम हो रहा है।

आनरेबल मैम्बर ने कहा कि फूड कार्पो-रेशन के अफसर अनाज में दूसरी चीजें मिलाते हैं। हमारे पास इस किस्म का कोई सुबूत नही आया है और इस किस्म की एलीगेशन करना गैर मुनासिब है। उस से हमारे काम मे रुका-वट पड़ती है। मै उम्मीद करता हूं कि आन-रेबल मेम्बर ऐसी बाते नही कहेगे। जब हम ने यह जिम्मेदारी ली है, तो हम उस को पुरा करेंगे, ताकि हम लोगों को अच्छे से अच्छा अनाज पहुंचा सकें।

12.25 hrs.

Re. QUESTION & PRIVILEGE

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, under rule 222 and 223 I hereby seek consent of your goodself to raise a question involving serious breach of privilege of our august House. The facts of the case are as fellows:

In *Juganter*, one of the leading Bengali language dailies of West Bangal, of which Shri Tushar Kanti Ghosh is the Managing Editor and also an owner in a feature article, they have written the following:

"*Dellite parliamente Russiar Probab Kinucht Hrush Peyeche*"

which means in English,

"In our Parliament at Delhi, Russian influence has decreased to a very little extent".

[Shri Jyotirmoy Bosu]

This means that our august Houses were and are under great pressure and influence of the Government of Soviet Russia. Parliament is sovereign and independent and to describe it as acting under pressure and influence of a foreign government is defamatory, derogatory and dangerous. Nothing more contemnptuous could be said.

I wish to raise this issue today and I request to refer it to the Privileges Committee for sitting in judgment over it.

MR. SPEAKER: So many comments have been made about this House. It has been mentioned that there are so many lobbies. But as the practice goes, before I give my consent, I would be sending this to the paper for there reply. I do not want to go any further now. This only shows that Mr. Jyotirmoy Bosu is back in the House.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : I have given you the clipping of the paper. Once the reply is received, I hope you will kindly allow us to raise the privilege motion. It has been read by 5 lakhs of people in West Bengal.

MR. SPEAKER : I will have to study it.

श्री सरजू पांडे (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आप को एक परचा लिखा था। मुझे एक मिनट के लिए समय दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : जब तक आप को बुलाया नहीं जाता तब तक इस तरह से आप क्यों खड़े हो जाते हैं ? (**व्यवधान**) नहीं, मैंने आप को इजाजत नहीं दी है।

इतने ज्यादा मोशन आने शुरू हो गए हैं कि मेरे लिए और कोई तरीका नहीं है, इस के लिए लिमिट करना पड़ेगा।

12.30 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

REPORTS OF LAW COMMISSION

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY) : I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Forty-ninth Report of the Law Commission on the proposal for inclusion of agricultural income in the total income for the purpose of determining the rate of tax under the Income-tax Act, 1961. [*Placed in library. See* No. LT—4996/73].

(2) A copy of the Fiftieth Report of the Law Commission on the proposal to include persons connected with public examinations within the definition of "public servant" in the Indian Penal Code. [*Placed in Library. See* No. LT—4997/73]

PETROLEUM & NATURAL GAS (2ND AMDT). RULES AND REVIEWS & ANNUAL REPORTS UNDER COMPANIES ACT, 1956

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI DALBIR SINGH) : I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Petroleum and Natural Gas (Second Amendment) Rules, 1973 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 398 in Gazette of India dated the 14th April, 1973, under section 10 of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948. [*Placed in library. See* No. LT—4998/73].

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956.

(*i*) (*a*) Review by the Government on the working of the Fertilizer Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 1971-72.

(*b*) Annual Report of the Fertilizer Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 1971-72 along with the Audited Accounts and the Comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[*Placed in library. See* No. LT—4999/73].

(*ii*) (*a*) Review by the Government on the working of the Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited, for the year 1971-72.

(*b*) Annual Report of the Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited, for the year 1971-72 along